न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश विश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 07/2022

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –
1. शंकरलाल पुत्र चौखाराम जाति बिश्नोई निवासी कांधी की ढ़ाणी, गुड़ामालानी जिला बाड़मेर (मैसर्स शिवम दूध डेयरी, गुड़ामालानी, बाड़मेर का मैनेजर)
2. चौखाराम पुत्र रूपाराम कुमार जाति बिश्नोई निवासी कांधी की ढ़ाणी, गुड़ामालानी जिला बाड़मेर (मैसर्स शिवम दूध डेयरी, गुड़ामालानी, बाड़मेर का फर्म प्रोपराईटर)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री मोहनलाल बिश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 13.04.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रार्थी ने दिनांक **11.01.2022** को अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म **मैसर्स शिवम दूध डेयरी, गुड़ामालानी, बाड़मेर** पर निरीक्षण करने पर अलग–अलग ड्रमों में विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **दूध (मिक्स)** भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 2 किलो **दूध (मिक्स)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1516** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **दूध (मिक्स)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य [illegible] खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ [illegible] अमानक **(Sub-standard)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी [illegible] जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया [illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी [illegible] द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.05.02 09:55:41 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रकट किया कि उक्त खाद्य पदार्थ किसी भी रूप में अवमानक या निम्न गुणवत्ता का नहीं है तथा न ही मानव स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध नरमी का रूख अपनाते हुए परिवाद का निस्तारण किया जावे।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से लिये गये खाद्य पदार्थ नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **25.01.2022** में उक्त नमूना अवमानक **(Sub-standard)** स्तर का पाया गया है। इस पर अप्रार्थीगण को पदाभिहीत अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब / उजर प्रस्तुत नहीं किया गया। यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थीगण को तलब किया गया, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा प्रकट किया कि उक्त खाद्य पदार्थ किसी भी रूप में अवमानक या निम्न गुणवत्ता का नहीं है तथा न ही मानव स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक है। जांच रिपोर्ट अनुसार Milk Fat मानक स्तर न्यूनतम 4.5% के मुकाबले में 0.6% एवं Milk Solid Not Fat मानक स्तर न्यूनतम 8.5% के मुकाबले में 8.62% पाया गया है जो कि निर्धारित मानक का नहीं है। इस प्रकार खाद्य पदार्थों की मानकता के स्तर का नहीं होने से उसकी गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण का है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रकट जवाब में कोई ठोस एवं तथ्यपरक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया है, लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(पप) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर अपराध की गम्भीरता को देखते हुए संयुक्त रूप से रूपये 5,000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 13.04.2022 को खुले न्या[illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.05.02 09:55:41 IST
Reason: SelfAttested

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं ... बाड़मेर (राज.)
सत्यमेव जयते